| | |
|---|---|
| | आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते आदेश आ.पत्र दि. 26.5.25 को पेश हो। |
| 26.5.25 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। आवेदन पत्र U/S 212 बी.एन.एस.एस., प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है; विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया. निर्णयानुसार। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

# निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 8/2002 तारीख दायरा 16.03.2002

उनवान

1. मृतक लटूर जरिये कायम मुकाम –

1/1 श्याम मनोहर पुत्र लटूर जाति ब्राह्मण निवासी सावनभादो तहसील कनवास।

2. छीतर लाल मृतक जरिये कायम मुकाम –

2/1 मृतक मुरलीधर पुत्र छीतरलाल जरिये कायम मुकाम –

2/1/1 टीकमचंद पुत्र मुरलीधर ,

2/1/2 मनोज पुत्र मुरलीधर,

2/1/3 लता बाई पुत्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासीगण विनोदखुर्द तहसील सांगोद।

2/2 किशन गोपाल पुत्र छीतरलाल जाति ब्राह्मण निवासी विनोदखुर्द।

2/3 मृतक मायादेवी जरिये कायम मुकाम –

2/3/1 पवन कुमार पुत्र रामकुंवार जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा तहसील खानपुर।

2/3/2 उषा कुमारी पुत्री रामकुंवार पत्नि दिनेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हरनावदा शाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारां।

2/3/3 शकुन्तला पुत्री रामकुंवार जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा।

2/3/4 सुगना (सुनीता) पुत्री रामकुंवार जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा।

2/4 गुड्डी बाई पुत्री छीतरलाल पत्नि ज्ञानचंद जाति ब्राह्मण निवासी बालाजी का टेक बारां।

2/5 रेखा बाई पुत्री छीतरलाल पत्नि योगेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां।

2/6 अनिता पुत्री छीतरलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी बामली तहसील बारां। – प्रार्थीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा



Scanned with OKEN Scanner

1. मृतक धूलीलाल जरिये कायम मुकामान –

1/1 मृतक जयकिशन पुत्र धूलीलाल जरिये कायम मुकाम –

1/1/1 दिनेश पुत्र जयकिशन जाति ब्राह्मण निवासी विनोदखुर्द।

1/1/2 शीला बाई पुत्री जयकिशन पत्नि महेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी बीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां।

1/1/3 धनकवंर बाई (विनिता कुमारी) पुत्री जयकिशन पत्नि धर्मेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चौथ्या माहिता तहसील अटरू जिला बारां।

1/2 श्रीनाम पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासी विनोदखुर्द।

1/3 लाडबाई पुत्री धूलीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवाणा तहसील लाडपुरा हाल निवासी जवाहर नगर कोटा।

2. मोहनलाल पुत्र रामप्रताप
3. मदनलाल पुत्र रामप्रताप
4. रामप्रसाद पुत्र रामप्रताप
5. रामनारायण पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासीगण ग्राम बम्बोलिया तहसील सांगोद।
6. राधेश्याम पुत्र रतनलाल
7. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
8. मुकुटबिहरी पुत्र रतनलाल जाति धाकड निवासी बम्बोलिया तहसील सांगोद।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :– 26.5.25

श्री महेश तिवारी (वकील प्रार्थीगण)

श्री नरेश गौतम (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा



Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता मार्फत यह [illegible] प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के भाई लटूर, काका धूलीलाल मृतक प्रतिवादी सं. 1 व मृतक [illegible] खाते की निम्न साबिक [illegible] की [illegible] [illegible] शामिल [illegible] की 47 बीघा 6 बिस्वा आराजी विवाद की —

| ख.न. | रकबा |
| --- | --- |
| 346 / 122—123 | 3 बीघा 11 बिस्वा |
| | 20 बीघा 7 बिस्वा |
| 346 / 128, 130 | 22 बीघा 16 बिस्वा |
| | 13 बीघा |
| | कुल रकबा 47 बीघा 6 बिस्वा |

उक्त विवादित आराजी 346 / 122—123 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा का सेटलमेन्ट के उपरान्त मौजूदा ख.न. 149 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा एवं साबिक ख.न. 346 / 128, 130 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा का मौजूदा ख.न. 185 रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा में शामिल कर दिया। विवादित भूमि का आपसी विभाजन सेटलमेन्ट के पूर्व प्रार्थी एवं लटूर व धूलीलाल के मध्य हो चुका था। जिसके अनुसार ख.न. 149 की 24 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रार्थी व प्रार्थी का भाई लटूर के हिस्से में तथा ख.न. 185 रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा में से 22 बीघा 9 बिस्वा पूर्वी हिस्से की आराजी अप्रार्थी धूलीलाल के हिस्से व कब्जे में रही। सेटलमेन्ट उपरान्त आपसी विभाजन अनुसार ख.न. 185 रकबा 44 बीघा 158 बिस्वा में से 22 बीघा 9 बिस्वा पूर्वी हिस्सा धूलीलाल प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। साथ ही ख.न. 149 की 24 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रार्थी व प्रार्थी का भाई लटूर व प्रार्थी के काका धूलीलाल के खाते दर्ज कर दी गई जो कि आपसी बंटवारे के अनुसार नहीं थी। उक्त त्रुटि का इल्म प्रार्थीगण को नहीं हुआ क्योंकि वे आपसी सहमति से हिस्से में आई जमीन पर काबिज काश्त थे।

अप्रार्थी धूलीलाल द्वारा ख.न. 185 रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा में से 1 / 2 हिस्सा अपना तन्हा हिस्सा मानकर उसमें से 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि इन्तकाल सं. 81 तस्दीक दिनांक 16.5.1974 द्वारा अप्रार्थी संत्र 6 ता 8 को एवं 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 2 ता 5 को इन्तकाल सं. 82 दिनांक 16.5.1974 द्वारा विक्रय कर बिना प्रार्थी स्वीकृति, सहमति के खरीदारान के खाते लगा दी। इस प्रकार मृतक धूलीलाल द्वारा अपने जीवन काल में आपसी सहमति से विभाजन द्वारा अपने हिस्से में आई संपूर्ण भूमि को विक्रय कर दिया। विभाजन अनुसार ख.न. 149 की 24 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई लटूर के वारिसों



उपखण्ड [illegible]

के कब्जे में चली आ रही है। ख.न. 149 की 24 बीघा 15 बिस्वा आराजी में सेटलमेन्ट पूर्व से चले आ रहे अप्रार्थी मृतक धूलीलाल का नाम हटाने तथा प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई लटूर के मध्य हिस्सा बराबर से घोषित करवाने हेतु एवं मृतक धूलीलाल के उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार नहीं होने की घोषणा करवाने एवं उक्त आराजी के किसी हिस्से में अप्रार्थी धूलीलाल के वारिस स्वयं या अपने ऐजेन्टों द्वारा मदाखलत मजामहत न करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा चाहने हेतु वाद पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय में जेरकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम विवादित आराजी को अथवा उसके किसी हिस्से को रहन, बैय, खुर्दबुर्द नहीं करें। ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकरों, एजेन्टों से करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी धूलीलाल के वारिसान की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार गौतम द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं–

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पारिवारिक सजरा नहीं दर्शाया गया है जो कि निम्न प्रकार है –

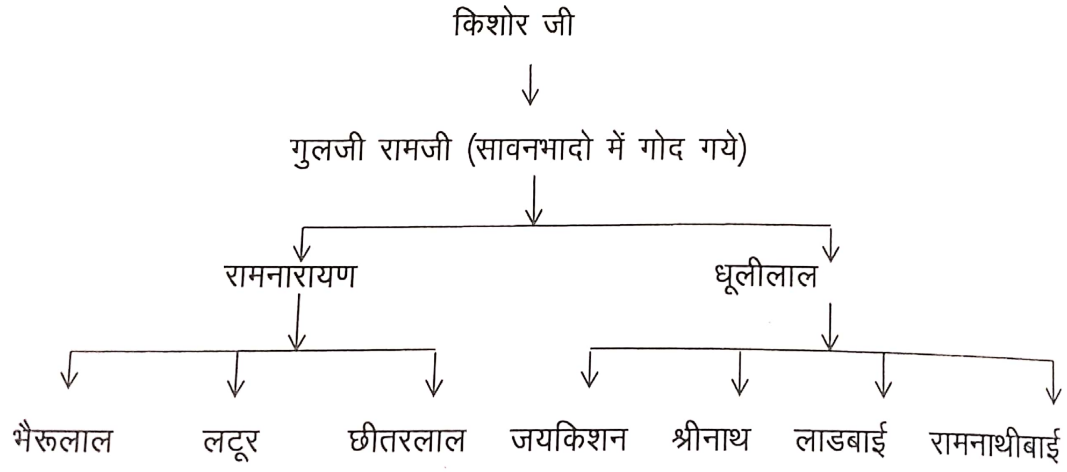


प्रार्थीगण एवं उनके पिता रामनारायण के हिस्से एवं कब्जे में ग्राम सावनभादो तथा ग्राम बम्बूलिया की अप्रार्थीगण के पिता धूलीलाल के हिस्से एवं कब्जे में तथा ग्राम विनोदखुर्द की प्रार्थी के पिता रामनारायण एवं अप्रार्थीगण के पिता धूलीलाल के संयुक्त हिस्से एवं कब्जे में आई है। उसी प्रकार प्रार्थी वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा विनोदखुर्द एवं

उपखण्ड
सॉगोद, जिला कोटा



Scanned with OKEN Scanner

[illegible] की आराजी का विवरण प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी का सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थी, प्रार्थी के भाई लटूर, प्रार्थी के काका धूलीलाल के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होना व्यक्त किया गया है। परन्तु सहमति से विभाजन बाबत कोई भी साक्ष्य, दस्तावेज, प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा



Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा स्वयं का कब्जा होना बताया किया गया है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में धूलीलाल द्वारा स्वयं के हिस्से में दर्ज आराजी का बेचान किया गया है। सेटलमेंट के समय से ही विवादित आराजी धूलीलाल एवं उसकी मृत्यु के उपरान्त धूलीलाल के विरासान के नाम दर्ज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खाते की माल ग्राम विनोदखुर्द एवं सावनभादो की आराजी का प्रार्थना पत्र में वर्णन नहीं किया गया है। प्रार्थी केवल ग्राम बम्बूलिया कील आराजी के संबंध में घोषणा एवं विभाजन का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रतीत होता है प्रार्थी तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पेश किया गया है तथा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रकरण में प्रारम्भिक स्थिति में आगामी तेशी तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति हेतु आदेश जारी किये गये थे। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश जारी किये जाते हैं कि —



उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला मूद वाद अंतरिम स्थाई षेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि माल ग्राम बम्बूलिया तहसील सांगोद की ख.नं. 149 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26-8-25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner